दि. 7/3/2001

सेवा में,

डॉ. ल्ल. एम. सिंघवी साहब,
न्यायिक सुधार सम्बन्धी उप समिति,
राज्यसभा सचिवालय, नई दिल्ली ।

विषय : न्यायिक सुधारों पर सुझाव

मान्यवर,

भारतीय न्यायिक तंत्र में व्याप्त शिथिलता तथा कार्यबोझ को कम करने एवं त्वरित न्याय को सुनिश्चित करने हेतु कतिपय सुझाव समिति के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ -

1. भारत में आए दिन मकान मालिक-किराएदार, मौहल्ले की सड़क, नाली, पानी की लड़ाई, खेतों के विवाद, जमीन का बंटवारा तथा सम्पति के प्रकरण पुलिस एवं अदालत में आ कर कार्य बढ़ाते हैं अतः शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक कालोनी में स्थानीय न्याय पंचायत का प्रावधान कर देना चाहिए तथा नियम हो कि कोई भी छोटा मामला प्रथमतः न्यायपंचायतों द्वारा सुना एवं निर्णित किया जाएगा । इससे आधे से अधिक मामले सामुदा--यिक स्तर पर ही सुलझा लिए जाएंगे ।

2. सरकारी तंत्र के विरुद्ध स्वयं लोक सेवक तथा आम जनता बहुत से वाद दायर करती है । अतः यह नियम बना देना चाहिए कि जिस कर्मचारी की गलती की वजह से मामला अदालत में जाएगा , वही कर्मचारी उसका प्रतिवादी होगा होगा तथा व्यय वहन करेगा । राज्य के अधीन सेवाओं में "सभी की जिम्मेदा--री, किसी की जिम्मेदारी नहीं" बन चुकी है । इसे रोका जाए अतः कठोर नियम बनाने होंगे तथा जवाबदेयता सुनिश्चित करनी होगी ।

3. प्रायः यह देखा गया है कि निचली अदालतों के निर्णय, उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के निर्णय सर्वोच्च न्यायालय बदल देता है । इससे यह सिद्ध होता है कि न्यायाधीश गम्भीरतापूर्वक निर्णय नहीं करते हैं । प्रश्न यह उठता है कि बार-बार निर्णय बदला जाता है तो फिर सही क्या है ? अपील का अधिकार होना चाहिए किन्तु गलत निर्णय देने वालों को भी तो दण्ड मिले ।

Scanned with OKEN Scanner

५ प्रत्येक मामले या वाद को निपटाने की अवधि निश्चित कर देनी चाहिए। बार-बार तारीख तथा वकीलों के झंझटों से मुक्ति देनी चाहिए।

६ गीता पर हाथ रख कर तथा शपथ पत्र भर कर झूठ बोलने वालों के लिए दण्ड का प्रावधान होना चाहिए।

७ न्यायपालिका के विशेषाधिकार कम करने चाहिए। प्रेस द्वारा विधायिका, कार्यपालिका की भर्त्सना हो सकती है तो न्यायपालिका की नहीं। कटु सत्य यह है कि भारत में न्यायपालिका में अधिक भ्रष्टाचार है। न्यायिक तंत्र को भी सामान्य दण्डनीय प्रावधानों तथा सी. बी. आई. के अधीन लाया जाना चाहिए। न्यायालयों के लिपिक, रीडर, चपरासी, वकील तथा न्यायाधीश यदि रिश्वत लें तो उन्हें भी रंगे हाथ गिरफ्तार करने की सहज प्रक्रिया हो होनी चाहिए।

कृपया विचार करने का कष्ट करें।

प्रार्थी

S. Kataria

डॉ. सुरेन्द्र कटारिया
पोस्ट बॉक्स नं. 20
सीकर - 332001 (राज.)